Incentives for setting up of Food Processing Industry

1337. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state what are the incentives available for setting up of food processing industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): All the food processing industries other than milk food, malted food and flour and all items of packaging for food processing industries but excluding the items reserved for small scale sector, have been placed in Appendix-I of the Industrial Policy. All scheduled Industries under 27(5) and 27(1) of the Industries (Development and Regulation) Act have been broad-banded except those items reserved for small scale industries. In the Budget for 1989-90, various concessions have been extended to the food processing industries in the form of reduction in the custom duty/import duty/excise duty in respect of certain items of machinery and equipment, certain food preparations etc. The Ministry of Food Processing Industries have a Plan scheme under which financial assistance is extended to State Governments/cooperative agencies for setting up and development of fruit and vegetable processing industries in the country.

Sites for Co-operatives of members of Parliament

1338. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the fate of the Co-operative where in Members of Parliament applied for sites ; and

(b) by when Government propose to give the sites to these Members of Parliament ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT(SHRIMATI MOHSINA KIDWAI) : (a) and (b) 1285 Cooperative Group Housing Societies registered with the Registrar of Cooperative Societies, Delhi have been sponsored by him for allotment of land. In some of these societies Members of Parliament constitute the majority of the membership. Keeping in view the limited availability of land with DDA and large back-log of registrants, it has been difficult to meet the requirements of Co-operative Group Housing Societies. To the extent possible the requirement of these Societies will be considered in the allocation of land in Pappankalan Project which is scheduled to be implemented in the near future.

तिलहनों के मूल्य

1339. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान रबी की फसल में उत्पन्न तिलहनों के दाम खुले बाजार में बहुत तेजी से गिर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादकों को सरसों आदि जैसे तिलहनों के उचित दाम मिल सकें, कोई व्यवस्था की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को बाजार में तिलहनों के दाम अधिक न गिरने देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ;

(घ) क्या बोर्ड ने किसानों से सीधे तिलहन खरीदने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988–89 के दौरान, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के फल-स्वरूप, तिलहनों के मूल्य 1987–88 में असाधारण रूप से ऊंचे रहे मूल्यों से कम हो गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरसों सहित तिलहनों के उत्पादकों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सकें, दो सार्वजनिक एजेंसियां नियुक्त की हैं। भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) को तिलहन उत्पादकों को न्यनतम समर्थन मूल्यों पर बाजार समर्थन प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई हैं। सरकार ने बाजार हस्तक्षेप एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भी शामिल किया है ताकि खाद्य तेलों/तिलहनों के मूल्यों को उन स्तरों पर बनाए रखा जा सके जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित हों।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तिलहन उत्पादक सहकारी संघों के जरिए किसानों से तिलहनों की अधिप्राप्ति करता है।

फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

1340. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम आदमी द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत उपभोग की तुलना में फलों व सब्जियों का वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा, निर्धारित पौष्टिक आम भोजन की फल और सब्जियों की मात्रा से बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित पौष्टिक भोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों के उत्पादन को किस सीमा तक बढ़ाना होगा, तथा सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समयबद्ध योजना तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, तदर्थ मूल्यांकन के अनुसार देश में फलों और सब्जियों (आलू सहित) का कुल उत्पादन क्रमशः करीब 255 और 500 लाख टन था। कुल उत्पादन में हुई 25 प्रतिशत क्षति को ध्यान में रखते हुए देश में फलों और सब्जियों की प्रति दिवस प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 66 ग्राम और 129 ग्राम आंकी गयी है।

(ख) देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत पोषाहार के लिए निर्धारित आवश्यक मात्रा से कुछ कम है।

(ग) 1967–68 से 1987–88 तक की अवधि के दौरान देश में फलों तथा सब्जियों को उत्पादन में प्रति वर्ष करीब, 3.80 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर से वृद्धि हुई है। चूंकि फलों और सब्जियों की विकास दर जनसंख्या की विकास दर की तुलना में बहुत ज्यादा है, अतः इस पोषाहार संबंधी अंतराल को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भरे जाने की सम्भावना है।

कुप्रबंध की वजह से नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं की हानि

1341. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं के संबंध में एक टीम द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया जिसमें यह कहा गया है कि फलों व सब्जियों के उत्पादन के बाद देश में कुव्यवस्था के कारण करोड़ रुपये की हानि होती है ;